एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -05 /2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः फरवरी 19 ,2021

विषयः क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या–17732/2020 विमल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

द0प्र0सं0 की धारा–41(ए),41(बी),41(सी),41(डी) के अन्तर्गत पुलिस द्वारा बिना वारण्ट के गिरफ्तारी का अधिकार तथा इस सम्बन्ध में क्रिमिनल अपील संख्या–1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 के अनुपालन हेतु इस मुख्यालय द्वारा डीजी परिपत्र संख्या–41/2014 दिनांक 17.06.2014 तथा डीजी परिपत्र संख्या–51/2014 दिनांक 13.09.2014 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे किन्तु संज्ञान में आया है कि डीजी परिपत्र के माध्यम से निर्गत इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त क्रम में क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या–17732/2020 विमल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष 7 साल या कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने का प्रकरण मा0 न्यायालय के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। मा0 न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक याचिकायें योजित किये जाने का सन्दर्भ देते हुये टिप्पणी की गयी कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या–1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी 7 साल या कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की रुटीन गिरफ्तारी की जा रही है।

मा0 न्यायालय द्वारा द0प्र0सं0 की धारा–41(1)(b)(ii) तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत् निर्देश पारित किये गये हैं :–

"In order to ensure what we have observed above, we give the following directions:

11.1. The State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41-A of Cr.P.C. 1973.

11.2. All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii);

11.3. The police officer shall forward the check list duly filled and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding / producing the accused before the Magistrate for further detention;

11.4. The Magistrate while authorising detention of the accused shall peruse the report furnished by the police officer in terms aforesaid and

only after recording its satisfaction, the Magistrate will authorise detention;

11.6. Notice of appearance in terms of Section 41-A CrPC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the district for the reasons to be recorded in writing;"

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में एक चेक लिस्ट तैयार कर इस परिपत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या–1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या–17732/2020 विमल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में दिये गये निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 7 साल या कम दण्ड़ से दण्ड़नीय अपराधों के आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय संलग्न चेकलिस्ट में समस्त सूचनाओं को विधिवत् अंकित करते हुए चेकलिस्ट को रिमाण्ड प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में की जानी है, अतः व्यक्तिगत रुचि लेते हुये इन निर्देशों के अनुपालन का प्रभावी अनुश्रवण करें तथा निर्देशों का पालन न करने वाले विवेचनाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, इसमें कोई त्रुटि न हो।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

18/2/23

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।

द0प्र0सं0, 1973 की धारा–41(1)(b)(ii) के अनुपालन हेतु चेकलिस्ट

1– कमिश्नरेट/जनपद का नाम:

2– अपराध संख्या/थाना:

3– गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम:

4– गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम, पिता का नाम व पूर्ण पता:

5– अपराध की धारायें:

6– अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम दण्ड:

7– द0प्र0सं0 की धारा–41(ए) के अन्तर्गत तामील करायी गयी नोटिस का तिथि सहित विवरण:

8– नोटिस के अनुपालन में अभियुक्त के उपस्थित होने/उपस्थित न होने का विवरण:

9– अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निम्न में से कौन सी परिस्थितियॉ विद्यमान थी:

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से रोकने के लिये :

(ख) अपराध के उचित अन्वेषण करने के लिये :

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी प्रकार से छेडछाड करने से निवारण करने के लिए :

(घ) ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने या वचन देने से निवारण करने के लिये ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से विमुख किया जा सके:

(ड.) क्योंकि जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसकी न्यायालय में उपस्थिति, जब कभी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती है:

10– गिरफ्तारी का कारण तथा उन तथ्यों का विशिष्ट विवरण, जिनके कारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना न्यायोचित है:

11– गिरफ्ताऱ करने वाले पुलिस अधिकारी का हस्ताक्षर व दिनांक: